अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2020 (RCMS 2020/00016) श्री तिलक राज पुत्र श्री सन्त कुमार निवासी मकान संख्या 750 सेक्टर नं. 40 ए चंडीगढ़ (मोबाईल नं. 86994–76195) बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री तिलकराज उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी **श्री तिलकराज ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2019 से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री तिलकराज ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2019 के द्वारा नगर विकास न्यास के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. यू.आई.टी. श्रीगंगानगर द्वारा सद्भावना नगर में अभी तक किन किन लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए उनका विवरण देवें।
2. वर्तमान में सद्भावना नगर में जिन लोगों के पास प्लॉट है, उसकी सूची प्रदान की जाए।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.वि./सूचना/2020/482 दिनांक 04.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री तिलकराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र सूचना चाहने हेतु इस संस्थान में दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया था, इस प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी श्री तिलकराज के हस्ताक्षर नहीं थे, इस कारण प्रार्थी को हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यास के पत्रांक भू.वि. /2019/442 दिनांक 20.12.2019 द्वारा प्रेषित किया (छाया प्रति संलग्न), परन्तु प्रार्थी द्वारा इस पत्र की अनुपालना में हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र पुनः इस संस्थान में प्रस्तुत नहीं किया एवं आप श्रीमान्जी के समक्ष सीधे ही सूचना नहीं देने के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है। श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी श्री तिलकराज को सूचना देने में विलम्ब इस संस्थान से नहीं, बल्कि उसके स्वयं की भूल के कारण हुआ है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि आप श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र पर भी प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है।

अतः प्रकरण को न्यास पक्ष में निस्तारित करने की कृपा करें।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं पदेन् सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी** अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर **के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास **न्यास, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर